फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री राहुल | **विपक्षी : श्री शंकरलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 88/16**

जीसीएमएस : 2016/00302

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा लोडावास पटवार हल्का थामला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 223 पर दर्ज आराजी नम्बर 2300, 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2936 किता 11 कुल रकबा 3.2699 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम, खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी नम्बर 2302 रकबा 0.0728 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1, 4, 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम एवं खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 2937, 2938 किता 2 कुल रकबा 0.0891 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने पिता विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। [illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल सम्वत् 2071–71 से स[illegible] होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता शंकरलाल के नाम 1/3 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज थी। जिसमें से कुछ हिस्सा विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 5 के पक्ष में विक्रय करना जाहिर हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को शंकरलाल का वारिस होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण, बेचान आदि कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 11.07.2016 सें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोडावास पटवार हल्का थामला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 223 पर दर्ज आराजी नम्बर 2300, 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2936 किता 11 कुल रकबा 3.2699 हेक्टेयर, खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी नम्बर 2302 रकबा 0.0728 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 103 पर दर्ज आराजी नम्बर 2937, 2938 किता 2 कुल रकबा 0.0891 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 5 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:41 IST
Reason: SelfAttested